

पत्रांक:-एम-4-41/2006.....11455 वि०, दि०-27-12-2023

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

विषय:- स्थायी अग्रिम के अधिसीमा की स्वीकृति/विस्तार के सम्बन्ध में ।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-4567/वि०, दिनांक-03.06.2016 द्वारा श्रम संसाधन विभाग अंतर्गत सभी प्रमंडलीय मुख्यालय स्तर पर उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त तथा मुख्यालय स्तर पर श्रमायुक्त के सचिव को ₹1,00,000/- तक की स्थायी अग्रिम की वित्तीय शक्ति बिहार बिहार वित्त नियमावली के नियम-112(2) के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है ।

उक्त के क्रम में श्रम संसाधन विभाग द्वारा विमुक्त बाल श्रमिकों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिये 29 कार्यालयों के लिये स्थायी अग्रिम की स्वीकृति हेतु किये गये अनुरोध के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित कार्यालयों के लिये श्रम अधीक्षक/सहायक श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त को निम्नवत स्थायी अग्रिम की स्वीकृति दी जाती है :-

क्र०	प्राधिकार/कार्यालय का नाम	प्रदत्त वित्तीय शक्ति
1	श्रम अधीक्षक, नालंदा	₹1,00,000/-
2	श्रम अधीक्षक, भोजपुर	₹1,00,000/-
3	श्रम अधीक्षक, बक्सर	₹1,00,000/-
4	श्रम अधीक्षक, कैमूर	₹1,00,000/-
5	सहायक श्रमायुक्त, डालमियानगर (रोहतास)	₹1,00,000/-
6	श्रम अधीक्षक, बांका	₹1,00,000/-
7	श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी	₹1,00,000/-
8	श्रम अधीक्षक, शिवहर	₹1,00,000/-
9	सहायक श्रमायुक्त, बेतिया	₹1,00,000/-
10	श्रम अधीक्षक, मोतिहारी	₹1,00,000/-
11	श्रम अधीक्षक, वैशाली	₹1,00,000/-
12	श्रम अधीक्षक, औरंगाबाद	₹1,00,000/-
13	श्रम अधीक्षक, अरवल	₹1,00,000/-
14	श्रम अधीक्षक, जहानाबाद	₹1,00,000/-
15	श्रम अधीक्षक, नवादा	₹1,00,000/-
16	श्रम अधीक्षक, मधुबनी	₹1,00,000/-
17	श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर	₹1,00,000/-
18	श्रम अधीक्षक, लखीसराय	₹1,00,000/-
19	श्रम अधीक्षक, शेखपुरा	₹1,00,000/-
20	उप श्रमायुक्त, बेगूसराय	₹1,00,000/-
21	श्रम अधीक्षक, जमुई	₹1,00,000/-
22	श्रम अधीक्षक, खगड़िया	₹1,00,000/-
23	श्रम अधीक्षक, गोपालगंज	₹1,00,000/-
24	श्रम अधीक्षक, सीवान	₹1,00,000/-
25	श्रम अधीक्षक, अररिया	₹1,00,000/-
26	श्रम अधीक्षक, कटिहार	₹1,00,000/-
27	श्रम अधीक्षक, किशनगंज	₹1,00,000/-
28	श्रम अधीक्षक, मधेपुरा	₹1,00,000/-
29	श्रम अधीक्षक, सुपौल	₹1,00,000/-